<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263684 CG-DL-E-09062025-263684

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 2458]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

का.आ. 2518(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ताम्र खनन उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 13 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय ,सरकार भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 4828 (अ), तारीख 6 नवंबर, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 नवंबर, 2024 से छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है:

और, उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं किया जा सकता था:

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को उक्त उद्योगों के प्रयोजनों के लिए छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है:

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में ताम्र खनन उद्योग में लगी हुई सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/05/2025 -आईआर(पीएल)] अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

3723 GI/2025 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

S.O. 2518(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the Copper Mining industry, which is covered under item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 7th November, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4828(E), dated the 6th November, 2024;

AND WHEREAS, the said declaration could not be extended at any time;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires that the said industry is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services of the industry engaged in the Copper Mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/05/2025-IR(PL)] AJOY SHARMA, Jt. Secy.